न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **360/2024** दायर दिनाँक **22.10.2024**

वादी		प्रतिवादी
1.पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खां जाति शैरानी निवासी मदीना मोहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना—कुचामन।	**बनाम्**	1. तहसीलदार छोटीखाटू 2. अहमद अली पुत्र हमीद खां 3. खलील अहमद पुत्र हमीद खां 4. चांद मोहम्मद पुत्र हमीद खां 5. मोहम्मद हुसैन पुत्र हमीद खां जाति शैरानी निवासीगण मदीना मोहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना —कुचामन

राजस्व—वाद बाबत्

घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

श्री शरीफ शेरानी एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **25.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाके सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8800 है0 अवस्थित है। जो वादी की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है। वादी का नाम जरिये नामान्तकरण के उक्त खसरा नम्बर की भूमि में भूलवश वादी का नाम रमजान अली पुत्र हमीद खां गलत अंकित कर दिया गया है तथा वादी के सभी निर्वाचन परिचय—पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड, आदि में नाम पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खॉ दर्ज है। वादी का उक्त भूमि में गलत नाम रमजान अली पुत्र हमीद खां होने के कारण अत्यधिक सुविधा व परेशानियों का समना करना पड रहा है। वादी के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर की भूमि में अपना नाम रमजान अली पुत्र हमीद खां के स्थान पर पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खॉ दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहता है। इस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

वाके सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8800 है0 भूमि में रमजान अली पुत्र हमीद खॉ के स्थान पर पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खॉ घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.10 13:46:42 IST

Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया ग[illegible] प्रति[illegible]ण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बावजूद स[illegible]मिली अनुपस्थित उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अम[illegible] [illegible] के पत्र क्रमांक भू.अ/2025/438 दिनांक 21.0[illegible] [illegible] हुई। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8800 है0 भूमि में रमजान अली पुत्र हमीद खॉ के स्थान पर पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खॉ दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8800 है0 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रेकर्ड है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतगी के नामान्तकरण 261/07.10.1997 सरहद डाबगांव में वादी का नाम रमजान अली पि. हमीद खां कौम मु. शेरानी सा. शेरानी आबाद अमल दरामद हुआ है जो आदिनांक तक रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में चला आ रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाके सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8800 है0 भूमि में वादी का नाम रमजान अली पुत्र हमीद खॉ के स्थान पर पीर मोहम्मद पुत्र हमीद खॉ दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:42 IST
Reason: SelfAttested